

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 94 वाहनों से 1,13,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 94 वाहनों से 1,13,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* मु0अ0स0 492/2024 धारा 87, 65(1), 137(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त मो0 नहीम उर्फ कल्लू पुत्र बाबू अली निवासी मुरादपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 13.08.2024 को थाना धनघटा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के घर से चले जाने व वापस न आने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 15.12.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अशोक दूबे।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध चलाया गया अभियान, 04 कुंतल लहन को किया गया नष्ट

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना धनघटा पुलिस* द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री व परिवहन के संबंध में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घोरंग में अवैध शराब बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 04 कुंतल लहन को नष्ट किया गया।

पुलिस टीम का विवरण: - प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री रामकृष्ण मिश्र, उ0नि0 श्री आजम खाँ, उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नायक, उ0नि0 श्री अनिल राय, उ0नि0 श्री रामदरश यादव, का0 सोनू कुमार, का0 विनय कुमार, का0 मोहन कुमार, का0 राणा प्रताप यादव, का0 संदीप यादव, म0का0 दामिनी सिंह, पीआरडी।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे “साथ-साथ कार्यक्रम” के तहत परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना द्वारा 04 परिवारों के मध्य कराया गया सुलह समझौता
पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में चलाये जा रहे ***“साथ-साथ” कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल)*** के तहत आज दिनांक 15.12.2024 को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर प्रभारी निरीक्षक ***सुश्री सरोज शर्मा*** एवं नियुक्त सदस्य ***श्री रिफातुल्लाह अंसारी*** की अध्यक्षता में 04 मामले आये। जिसमें सुलह समझौता करवाया गया।

1. प्रथम पक्ष – जरीना खातून पुत्री मो0 अली साकिन खजुरिहा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

द्वितीय पक्ष – सेराज अहमद पुत्र सफात अली थाना को0 खली0 जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

2. प्रथम पक्ष – पूनम विश्वकर्मा पत्नी कृष्ण विश्वकर्मा साकिन जमुअरिया खुर्द थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर

द्वितीय पक्ष – कृष्णा विश्वकर्मा पुत्र राजकुमार साकिन बरईपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

3. प्रथम पक्ष – बिन्दु देवी पत्नी संचीत चौहान साकिन बलही थाना महुली, जनपद – संतकबीर नगर।

द्वितीय पक्ष – संचीत चौहान पुत्र रमाल साकिन बलही थाना महुली, जनपद – संतकबीर नगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

4. प्रथम पक्ष – रहमतुन्निशा पत्नी सद्दाम साकिन रामपुर मध्य थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

द्वितीय पक्ष – सद्दाम पुत्र बदरेआलम साकिन रामपुर मध्य थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।